

SCIENTIFIC COOPERATION

**Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA**

Signed at New Delhi July 19, 2011



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

INDIA

Scientific Cooperation

*Agreement signed at New Delhi July 19, 2011;
Entered into force July 19, 2011.*

IMPLEMENTING AGREEMENT
BETWEEN
THE DEPARTMENT OF ENERGY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR COOPERATION
IN THE AREA OF ACCELERATOR AND PARTICLE DETECTOR RESEARCH
AND DEVELOPMENT FOR DISCOVERY SCIENCE

The Department of Energy of the United States of America and the Department of Atomic Energy of the Republic of India (hereinafter referred to as the Parties):

Desiring to facilitate and promote cooperation in research and development in the area of accelerator science and technology to advance scientific discoveries in high energy physics and to promote scientific and technological cooperation beneficial to both Parties; and

Acting pursuant to Article IV, paragraph 2 of the Agreement on Science and Technology Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India, signed at Washington October 17, 2005 (hereinafter referred to as the S&T Agreement);

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE AND SCOPE**

1. The objective of this Implementing Agreement (hereinafter "Agreement") is to establish a framework for scientific and technological cooperation between the Parties in accelerator and particle detector research and development for their mutual benefit. Cooperation will include research projects involving both short- and long-term collaboration between scientists of the Parties' countries.
2. This Agreement is subject to and governed by the S&T Agreement. In the event of any conflict between the provisions of the S&T Agreement and the provisions of this Agreement, the provisions of the S&T Agreement shall govern.

**ARTICLE 2
FORMS OF COOPERATION**

Forms of cooperation may include: conduct of joint or cooperative research projects and programs; setting up of facilities through joint effort; exchange of technical information, data and experience; exchange of technical and managerial personnel for visits and short-term assignments; exchange of equipment, materials and instrumentation; joint conferences, seminars or workshops; and such other forms of cooperation as the Parties may agree in writing.

**ARTICLE 3
PROJECT ANNEXES**

1. Cooperative activities under this Agreement may be undertaken by the Parties or, as appropriate, laboratories or contractors of the Parties. Each cooperative activity that may involve the sharing of costs or that may give rise to the creation of intellectual property shall be set forth in writing in a Project Annex.
2. Each Project Annex shall include detailed provisions for carrying out the specific forms of cooperation, including such matters as technical scope; mode of execution of the project; terms of exchange of equipment which might be manufactured on the basis of "functional specification" or "detailed design" or "build to print drawings"; exchange of business-confidential information; intellectual property rights; management; total costs, cost sharing and schedule. Each Project Annex shall be subject to and shall refer to this Agreement.

**ARTICLE 4
MANAGEMENT**

1. Each Party shall designate a Principal Coordinator to supervise activities under this Agreement. The Principal Coordinators shall jointly plan and coordinate cooperative activities, co-chair joint meetings, and prepare an annual Program of

Cooperation. Each Principal Coordinator may appoint a Technical Coordinator for each cooperative activity.

2. The Principal Coordinators shall meet on an annual basis, or otherwise as mutually agreed, alternately in the United States and in India, in other locations as mutually agreed, or by teleconference. The host Party will choose the meeting site and bear the costs for the arrangements associated with the meeting. Representatives from each Party attending the meetings will be responsible for their own travel and lodging expenses. At these meetings, the Principal Coordinators shall review and assess the progress of activities and the next year's plans for continuation of cooperation under this Agreement.

3. The Principal Coordinators shall jointly prepare a written report of each meeting. Each Party shall have the right to disseminate the written meeting report without prior notification to the other Party, after the record has been approved for release by both Parties.

4. The Principal Coordinators may invite representatives of other organizations within their countries to attend meetings and to serve as advisors to assist in planning the annual meetings and evaluating the progress of cooperative activities under this Agreement.

ARTICLE 5 PARTICIPATING ORGANIZATIONS

1. Initial list of participating organizations:

U.S. Institutions:

Fermi National Accelerator laboratory, Batavia, (Fermilab)
Stanford Linear Accelerator Centre, Stanford (SLAC)
Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, (TJNAF)
Laboratory of Elementary Particle Physics, Cornell University

Indian Institutions

Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai, (BARC)
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore (RRCAT)
Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata (VECC)
Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai (TIFR)
Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata (SINP)
Inter- University Accelerator Centre, New Delhi (IUAC)

2. Additional Organizations

The Parties may each invite additional organizations within their respective countries to participate in cooperative activities under this Agreement, at those organizations' own expense and subject to such other terms and conditions as the Parties may specify.

ARTICLE 6
EXCHANGE OF PERSONNEL

Unless otherwise agreed in writing, the following provisions shall apply to assignment or exchange of personnel under this Agreement:

1. Each Party shall ensure the selection of qualified personnel with skills and competence necessary to conduct the activities planned under this Agreement. Each such assignment or exchange shall be agreed in advance by an exchange of letters between the Parties referencing this Agreement.
2. Each Party shall be responsible for the salaries, insurance, and allowances to be paid to its staff or its contractors.
3. Each Party shall pay for the travel and living expenses of its contractors when on assignment to the other Party. Living expenses for long-term visits of research personnel may be supported by fellowships or other funding arrangements by the host institution.
4. The receiving Party shall assist in arranging for adequate accommodations for the sending Party's staff and contractors (and their families) on a mutually agreeable and reciprocal basis.
5. The receiving Party shall provide necessary assistance to the staff of the other Party and its contractors (and their families) as regards administrative formalities, such as making travel arrangements and obtaining work permits.
6. The sending Party's staff and its contractors shall conform to the rules of work and safety regulations in force at the host establishments.

ARTICLE 7
EXCHANGE OF EQUIPMENT

A Party, by mutual agreement, may provide equipment, to be utilized in a joint activity on the basis of a Project Annex which shall include any conditions applicable to the transfer of such equipment, in addition to the following conditions:

1. The sending Party shall supply, as early as possible, a detailed list of the equipment to be provided, together with the relevant specifications and appropriate technical and informational documentation related to use, maintenance, and repair of the equipment.
2. Title to the equipment and necessary spare parts supplied by the sending Party for use in joint activities shall remain with the sending Party, and the property shall be returned to the sending Party upon completion of the activity, unless otherwise agreed.

3. Equipment provided pursuant to this Agreement shall be brought into operation at the host establishment only by agreement of the Parties.
4. The host establishment shall provide the necessary premises and shelter for the equipment; utilities such as electric power, water and gas; and normally, shall provide materials to be tested, in accordance with all technical requirements, as mutually agreed.
5. Responsibility for expenses, safekeeping, and insurance during the transport of equipment from the original location in the country of the sending Party to the place of entry in the country of the receiving Party shall rest with the sending Party. If the sending Party elects to have the equipment returned, it shall be responsible for expenses, safekeeping, and insurance during the transport of the equipment from the original point of entry in the country of the receiving Party to the final destination in the country of the sending Party.
6. Responsibility for expenses, safekeeping, and insurance during the transport of equipment from the place of entry in the country of the receiving Party to the final destination in the country of the receiving Party shall rest with the receiving Party. If the sending Party elects to have the equipment returned, the receiving Party shall be responsible for expenses, safekeeping, and insurance during the transport of the equipment from the final destination in the country of the receiving Party to the original point of entry in the country of the receiving Party.
7. Responsibility for expenses, safekeeping, and insurance during the time period that the equipment is in use in the country of the receiving Party shall rest with the receiving Party.
8. Equipment provided by the sending Party for carrying out joint activities shall be considered to be scientific, not having a commercial character, and the receiving Party shall work toward obtaining duty free entry for such equipment.

ARTICLE 8 EXCHANGE OF INFORMATION AND EQUIPMENT

1. Any information transmitted by one Party to the other Party under this Agreement and any related Project Annexes shall be accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party. Any equipment transferred by one Party to the other Party under this Agreement shall be suitable for its intended use to the best knowledge and belief of the transmitting Party. The transmitting Party does not warrant the suitability of the information or equipment transmitted for any particular use or application by the receiving Party or by any third party.
2. Information developed jointly by the Parties shall be accurate, and jointly developed equipment shall be suitable for its intended use, to the best knowledge and belief of both Parties. Neither Party warrants the accuracy of the jointly

developed information or the appropriateness of equipment, nor its suitability for any particular use or application by either Party or by any third party.

ARTICLE 9 INTELLECTUAL PROPERTY; BUSINESS-CONFIDENTIAL INFORMATION

1. Scientific and technological information (other than business-confidential information) resulting from cooperation under this Agreement shall be made available to the world scientific community, unless otherwise agreed by the Parties.
2. The protection and allocation of intellectual property, and the treatment of business-confidential information, shall be governed by Annex I (Intellectual Property) to the S&T Agreement.

ARTICLE 10 CONTRACTS

In the event that a Party awards contracts for the acquisition of articles and services to implement this Agreement, such contracts shall be awarded in accordance with the laws and regulations of that Party.

ARTICLE 11 GENERAL PROVISIONS

1. Cooperative activities under this Agreement shall be conducted in accordance with the Parties' respective national laws and regulations and shall be subject to the availability of personnel, appropriated funds, and other resources.
2. Unless otherwise agreed in writing, all costs resulting from collaboration under this Agreement shall be the responsibility of the Party that incurs them.
3. Any questions of interpretation or implementation relating to this Agreement arising during its term shall be resolved by consultations between the Parties.
4. All activities conducted under this Agreement shall be exclusively for peaceful purposes.

ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE. AMENDMENT, AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and remain in force so long as the S&T Agreement remains in force.

2. This Agreement may be amended by written agreement of the Parties.

3. This Agreement may be terminated by both Parties at any time in writing; or at the discretion of either Party upon six (6) months' written notice to the other Party.

4. Unless otherwise agreed, all ongoing joint activities, projects, and experiments not completed at the termination of this Agreement may be continued until their completion under the terms of this Agreement.

DONE at New Delhi, in duplicate, this 19th day of July, 2011, in the English and Hindi languages, each text being equally authentic.



FOR THE DEPARTMENT OF ENERGY
OF THE UNITED STATES OF AMERICA:



FOR THE DEPARTMENT OF ATOMIC
ENERGY OF THE REPUBLIC OF INDIA:

**त्वरक और कण संसूचक अनुसंधान तथा आविष्कार विज्ञान हेतु विकास
के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग और
भारत गणराज्य के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच कार्यान्वयन करार**

संयुक्त राज्य अमेरिका का ऊर्जा विभाग और भारत गणराज्य का परमाणु ऊर्जा विभाग (जिन्हें इसमें इसके उपरांत 'पक्षकार' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) :

उच्च ऊर्जा भौतिकी में वैज्ञानिक आविष्कारों को आगे बढ़ाने के लिए त्वरक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने तथा दोनों पक्षकारों हेतु लाभप्रद वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग को प्रोत्साहित करने की अभिलाषा से तथा

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच वाशिंगटन में 17 अक्टूबर 2005 को हस्ताक्षरित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी करार (जिसे इसमें इसके उपरांत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अनुच्छेद IV पैराग्राफ 2 के अनुसरण में कार्य करते हुए

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं ;

अनुच्छेद 1

उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

1. इस कार्यान्वयन करार (इसमें उसके उपरांत "करार") का उद्देश्य परस्पर लाभ हेतु त्वरक एवं कण संसूचक अनुसंधान एवं विकास में पक्षकारों के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। सहयोग में पक्षकार देशों के वैज्ञानिकों के बीच, दोनों, अल्प एवं दीर्घकालिक सहयोग वाली अनुसंधान परियोजनाएं शामिल होंगी।
2. यह करार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार के अधीन है तथा उसके द्वारा अधिशासित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार के प्रावधानों एवं इस करार के प्रावधानों के बीच किसी संघर्ष की स्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार के प्रावधान प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 2 सहयोग के रूप

सहयोग के रूपों में निम्नलिखित शामिल : संयुक्त या सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन; संयुक्त प्रयास से सुविधाओं की स्थापना; तकनीकी सूचना, डाटा एवं अनुभव का आदान-प्रदान; दौरो एवं अल्पकालिक कार्यभार हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का आदान-प्रदान, उपस्करों, सामग्रियों एवं यंत्रिकरण का आदान-प्रदान, संयुक्त सम्मेलन, संगोष्ठियां अथवा कार्यशालाएं; एवं सहयोग के ऐसे अन्य रूप जिसके संबंध में पक्षकार लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं ।

अनुच्छेद 3 परियोजना उपाबंध

1. इस करार के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा अथवा जैसा उचित समझा जाय पक्षकारों की प्रयोगशालाओं अथवा ठेकेदारों द्वारा सहयोगी गतिविधियां हाथ में ली जा सकेंगी। ऐसी प्रत्येक सहयोगी गतिविधि, जिसमें लागतों की भागीदारी शामिल है अथवा जिससे बौद्धिक संपदा का सृजन हो सकता है, लिखित रूप में एक परियोजना उपाबंध में उल्लिखित होगी।
2. प्रत्येक परियोजना उपाबंध में सहयोग के विशिष्ट रूपों के संचालन के लिए विस्तृत प्रावधानों को शामिल किया जाएगा जिसमें तकनीकी कार्यक्षेत्र; परियोजना के निष्पादन की विधि; "कार्यात्मक विनिर्देशों" अथवा "विस्तृत अभिकल्प" अथवा "मुद्रण ड्राइंगों के अनुरूप निर्माण" के आधार पर विनिर्मित किये जाने वाले उपस्करों के विनिमय के निबंधनों, कार्य संबंधी गोपनीय सूचना के विनिमय; बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रबंधन; कुल लागतों, लागत भागीदारी और समय-सारणी जैसे विषय शामिल होंगे। प्रत्येक परियोजना उपाबंध इस करार के अधीन होगा तथा उससे निर्देशित होगा।

अनुच्छेद 4 प्रबंधन

1. प्रत्येक पक्षकार इस करार के अंतर्गत गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए एक प्रधान समन्वयकर्ता

को पदनामित करेगा। प्रधान समन्वयकर्ता संयुक्त रूप से सहयोगी गतिविधियों की योजना बनायेंगे और उसका समन्वयन करेंगे। प्रधान समन्वयकर्ता संयुक्त बैठकों के सह-अध्यक्ष होंगे और सहयोग का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेंगे। प्रत्येक प्रधान समन्वयकर्ता प्रत्येक सहयोगी गतिविधि के लिए एक तकनीकी समन्वयकर्ता नियुक्त कर सकता है।

2. प्रधान समन्वयकर्ता वार्षिक रूप से अथवा आपसी सहमति से अन्य समय अंतराल पर बारी-बारी से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में अथवा परस्पर सहमति से किसी अन्य स्थान पर अथवा टेली कान्फरेंस द्वारा मिलेंगे। मेजबान पक्षकार, बैठक स्थल का चयन करेगा और बैठक से संबंधित व्यवस्थाओं की लागत का वहन करेगा। बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक पक्षकार के प्रतिनिधि अपनी यात्रा और रहने के खर्च के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रधान समन्वयकर्ता इन बैठकों में इस करार के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति तथा सहयोग को जारी रखने हेतु आगामी वर्ष की योजना की समीक्षा और मूल्यांकन करेंगे।
3. प्रधान समन्वयकर्ता प्रत्येक बैठक की एक लिखित रिपोर्ट संयुक्त रूप से तैयार करेंगे। प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह अभिलेख को जारी करने हेतु दोनों पक्षकारों के अनुमोदन के उपरांत दूसरे पक्षकार को पहले अधिसूचित किये बिना लिखित रूप में बैठक की रिपोर्ट को प्रसारित कर सके।
4. प्रधान समन्वयकर्ता अपने देश के दूसरे संगठनों के प्रतिनिधियों को बैठकों में भाग लेने तथा वार्षिक बैठकों की योजना तैयार करने में एक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देने हेतु तथा इस करार के अंतर्गत सहयोगी गतिविधियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 5

सहभागी संगठन

1. सहभागी संगठनों की प्रारंभिक सूची :

अमेरिकी संस्थाएं :

फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर लैबोरेटरी, बटाविया, (फर्मी लैब)

स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलेरेटर सेंटर, स्टैनफोर्ड (एस.एल.ए.सी.)

थॉमस जेफर्सन नेशनल एक्सेलरेटर फंसिलिटी, न्यूपोर्ट न्यूज, (टी.जे.एन.ए.एफ.)
लैबोरेटरी ऑफ ऐलिमेंटरी पार्टिकल फिजिक्स, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी

भारतीय संस्थाएं

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई (बी.ए.आर.सी.)
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, इंदौर (आर.आर.सी.ए.टी.)
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कोलकाता (वी.ई.सी.सी.)
टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र, मुंबई (टी.आई.एफ.आर.)
साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता (एस.आई.एन.पी.)
अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केन्द्र, नई दिल्ली (आई.यू.ए.सी.)

2. अतिरिक्त संगठन

प्रत्येक पक्षकर इस करार के अंतर्गत सहयोगी गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपने-अपने देशों के अतिरिक्त संगठनों को उनके अपने खर्च और पक्षकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अधीन आमंत्रित कर सकेगा।

अनुच्छेद 6

कार्मिकों का आदान-प्रदान

जब तक लिखित रूप में किसी भिन्न रूप में सहमति नहीं हुई हो, इस करार के अंतर्गत कार्यभारों अथवा कार्मिकों के आदान-प्रदान के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

1. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अंतर्गत नियोजित गतिविधियों के संचालन के लिए योग्य कुशल एवं सक्षम कार्मिक का चयन किया जाय। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति अथवा विनियम के लिए इस करार का संदर्भ देते हुए पक्षकारों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा पूर्व सहमति आवश्यक होगी।
2. प्रत्येक पक्षकार अपने कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों को भुगतान किये जाने वाले वेतनों, बीमा और भत्तों के लिए उत्तरदायी होगा।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने ठेकेदार की दूसरे पक्षकार के पास कार्यों के लिए नियुक्ति करने पर उसकी यात्रा और रहने के खर्च का भुगतान स्वयं करेगा। अनुसंधान कार्मिकों के दीर्घकालिक दौरों के लिए उनके रहने के व्यय हेतु आर्थिक सहायता, मेजबान संस्था, शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) अथवा अन्य निधि व्यवस्थाओं द्वारा कर सकती है।
4. प्रेषक पक्षकार द्वारा भेजे जाने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों (और उनके परिवारों) के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था करने में प्राप्तकर्ता पक्षकार परस्पर और आपसी सहमति के आधार पर सहयोग प्रदान करेगा।
5. प्रेषक पक्षकार के कर्मचारियों और ठेकेदारों (और उनके परिवारों) को प्रशासनिक औपचारिकताओं, जैसे, यात्रा संबंधी व्यवस्था व कार्य परमिट प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक सहायता प्राप्तकर्ता पक्षकार उपलब्ध करायेगा।
6. प्रेषक पक्षकार के कर्मचारियों और उनके ठेकेदारों द्वारा मेजबान संस्थापनाओं में लागू कार्य और संरक्षा संबंधी विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

अनुच्छेद 7

उपस्करों का आदान-प्रदान

एक पक्षकार, संयुक्त गतिविधि में उपयोग हेतु किसी उपस्कर की उपलब्धि, पारस्परिक सहमति द्वारा संपन्न एक परियोजना अनुबंध में उपस्कर के हस्तानांतरण के संबंध में शामिल किसी शर्त व निम्नलिखित शर्तों के आधार पर करा सकेगा।

1. प्रेषक पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले उपस्कर की विस्तृत सूची के साथ उसके उपयोग, अनुरक्षण और उपस्कर की मरम्मत से संबंधित सुसंगत विनिर्देशों और उपयुक्त तकनीकी और सूचनात्मक प्रलेखन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।
2. प्रेषक पक्षकार द्वारा संयुक्त गतिविधियों में उपयोग के लिए आपूर्ति किये गये उपस्कर और उसके आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों का स्वामित्व उसके प्रेषक पक्षकार के पास ही रहेगा और उस गतिविधि के पूरा हो जाने पर जब तक कि किसी अन्य रूप में कोई सहमति नहीं हुई हो, उसे प्रेषक पक्षकार

को वापस कर दिया जाएगा।

3. इस करार के अनुसरण में मेजबान संस्थापना को उपलब्ध कराये गये उपस्कर को तभी प्रचालित किया जाएगा जब दोनों पक्षकार उसके लिए सहमत हों।
4. मेजबान संस्थापना द्वारा उपस्कर के लिए आवश्यक परिसर और उसके रखने की जगह; विद्युत शक्ति, पानी और गैस; तथा सामान्य रूप से परीक्षण की जाने वाली सामग्री संबंधित सभी तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार परस्पर सहमत रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
5. प्रेषक पक्षकार के देश में स्थित मूल स्थान से उपस्कर के प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में प्रवेश स्थल तक परिवहन के खर्चों, उनके सुरक्षित रूप से रख-रखाव और बीमा की जिम्मेदारी प्रेषक पक्षकार की होगी। यदि प्रेषक पक्षकार उपस्कर को वापस प्राप्त करने का विकल्प चुनता है तो प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में प्रवेश के मुख्य स्थान से प्रेषक पक्षकार के देश में अन्तिम स्थान तक उपस्कर के परिवहन के खर्चों, उनके रख-रखाव और बीमा की जिम्मेदारी प्रेषक पक्षकार की होगी।
6. प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में प्रवेश के स्थान से उसके देश में अन्तिम स्थान तक उपस्कर के परिवहन के खर्चों, उसके रख-रखाव और बीमा की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता पक्षकार की होगी। यदि प्रेषक पक्षकार उपस्कर को वापस चाहता है तो प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में अन्तिम स्थान से प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में प्रवेश के मूल स्थान तक उपस्कर के परिवहन के दौरान खर्चों, उनको सुरक्षित रूप से रखने और बीमा की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता पक्षकार की होगी।
7. प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में उपस्कर के उपयोग में लाये जाने की अवधि के दौरान खर्चों, उनको सुरक्षित रूप से रखने और बीमा की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता पक्षकार की होगी।
8. प्रेषक पक्षकार द्वारा संयुक्त गतिविधियों के संचालन के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले उपस्कर को, गैर-वाणिज्यिक स्वरूप और वैज्ञानिक रूप में माना जाएगा तथा प्राप्तकर्ता पक्षकार ऐसे उपस्कर को शुल्क मुक्त प्रवेश के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा।

अनुच्छेद 8

सूचना और उपस्कर आदान-प्रदान

1. इस करार एवं किन्हीं संबंधित परियोजना उपाबंधों के अंतर्गत एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को संप्रेषित कोई सूचना उसे संप्रेषित करने वाले पक्षकार की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही-सही होगी। इस करार के अंतर्गत एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को हस्तांतरित कोई उपस्कर उसे उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उसके आशयित उपयोग के उपयुक्त होगा। संप्रेषक पक्षकार, दी गई सूचना अथवा उपस्कर की, प्राप्तकर्ता पक्षकार अथवा किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किसी विशेष उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए उपयुक्तता का आश्वासन नहीं देता।
2. पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सूचना यथार्थ होगी तथा संयुक्त रूप से विकसित उपस्कर दोनों पक्षकारों की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उसके आशयित उपयोग के लिए उपयुक्त होगा। कोई भी पक्षकार, किसी पक्षकार अथवा किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किसी विशिष्ट उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए संयुक्त रूप से विकसित सूचना की यथार्थता अथवा उपस्कर की सार्थकता का आश्वासन नहीं देता।

अनुच्छेद 9

बौद्धिक संपदा, कार्य संबंधी गोपनीय सूचना

1. जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा रूप में सहमति न हुई हो, इस करार के अंतर्गत सहयोग के परिणामस्वरूप प्राप्त वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सूचना (कार्य संबंधी-गोपनीय सूचना को छोड़कर) को विश्व वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. बौद्धिक संपदा का संरक्षण और आबंटन तथा कार्य संबंधी गोपनीय सूचना का प्रतिपादन, विज्ञान और प्रौद्योगिकीय करार के अनुबंध I (बौद्धिक संपदा) द्वारा अधिशासित होगा।

अनुच्छेद 10

संविदाएं

यदि किसी पक्षकार द्वारा इस करार के क्रियान्वयन के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने हेतु संविदाएं प्रदान की जाती हैं तो ऐसी संविदाएं उस पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

अनुच्छेद 11

सामान्य प्रावधान

1. इस करार के अंतर्गत सहयोगी गतिविधियां पक्षकारों के अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार संचालित होंगी तथा वे कार्मिक, विनियोजित निधि और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहेंगी।
2. जब तक कि लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हुई हो, इस करार के अंतर्गत सहयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी लागतों की जिम्मेदारी उसे खर्च करने वाले पक्षकार की होगी।
3. इस करार के लागू रहने की अवधि के दौरान इस करार के निवर्तन अथवा कार्यान्वयन से संबंधित किसी प्रश्न को दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श द्वारा हल किया जाएगा।
4. इस करार के अंतर्गत संचालित सभी गतिविधियां केवल शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु होंगी।

अनुच्छेद 12

प्रभाविता, संशोधन एवं समाप्ति

1. यह करार दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के उपरांत लागू हो जाएगा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार के लागू रहने तक लागू रहेगा।
2. दोनों पक्षकारों की लिखित सहमति द्वारा इस करार को संशोधित किया जा सकेगा।
3. इस करार को दोनों पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा; अथवा


किसी भी पक्षकार के विवेकानुसार दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में छह (6) माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा।

4. जब तक कि अन्यथा रूप में सहमति न हुई हो, ऐसी सभी संयुक्त गतिविधियां, परियोजनाएं और प्रयोग जो इस करार की समाप्ति पर पूरे न हुए हों, अपने पूरे होने तक इस करार के निबंधनों के अंतर्गत जारी रहेंगे।

दिल्ली में दिनांक 19.07.2011 को अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषाओं में, दो-दो प्रतियाँ (दोनों भाषाओं के प्रलेख समान रूप से प्रामाणिक) हस्ताक्षरित।



संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग की ओर से
विभाग



भारत गणराज्य के परमाणु ऊर्जा
की ओर से